बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / 11 / विविध (मुख्यालय)(के0प्र0)–22 / 2025... /

–: अधिसूचना :–

श्री धीरेन्द्र मोहन, तत्कालीन सहायक निदेशक (असैनिक), गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्यालय, पटना के विरूद्ध मोहनिया स्थित डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय 720 आसन वाले छात्रावास के गुणवत्ता संबंधी प्रयोगशाला जाँच प्रतिवेदन में छेड़–छाड़ / बदलाव करने के आरोप के लिए आरोप पत्र गठित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–10515(भ) दिनांक–25.11.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण / बचाव अभिकथन पूछा गया।

2. श्री मोहन के पत्रांक–शून्य दिनांक–10.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें Report Manipulation के संदर्भ में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त कार्य लैब टेक्निशियन द्वारा किया गया, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यदि उनके कहने पर श्री अवनीश कुमार, लैब टेक्निशियन द्वारा Manipulation किया गया होता तो उसपर उनका भी हस्ताक्षर अवश्य होता।

3. उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) का मन्तव्य प्राप्त किया गया। उनके द्वारा मन्तव्य दिया गया कि ''संबंधित योजनाओं का दिनांक–29.08.2025 को विभागीय उड़नदस्ता दल सं०–01 के द्वारा पुनः कार्य स्थल पर से सामग्रियों को एकत्रित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजवंशीनगर, पटना में जमा किया गया, जिसका जाँच दिनांक–01.09.2025 को Seive Analysis test कराया गया जिसमें Quality test Pass है। ऐसी स्थिति में Manupulation का आरोप Circumstancially प्रमाणित प्रतीत होने के बावजूद भी Factually प्रमाणित नहीं हो रहा है।''

4. मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण के मन्तव्य की समीक्षा के क्रम में आरोप के सन्दर्भ में संशय की स्थिति के कारण मामले की निष्पक्ष जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–6037 दिनांक–02.07.2026 द्वारा मुख्य अभियंता (उत्तर) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। मुख्य अभियंता (उत्तर) द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि *''अत्यधिक संख्या में केन्द्रीय प्रयोगशाला में उस अवधि में जाँच के समय असहज परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं माना जा सकता है'' तथा कमिटि द्वारा **आरोप factually प्रमाणित नहीं होता है** पर सहमति प्रदान की गई है।*

5. अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरान्त श्री धीरेन्द्र मोहन, तत्कालीन सहायक निदेशक (असैनिक), गुणवत्ता अनुश्रवण को **''भविष्य में सचेत''** रहने का निदेश देते हुए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकृत कर आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मृदुला कुमारी)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0.........

ज्ञापांक–भवन/11/विविध (मुख्यालय)(के0प्र0)–22/2025..................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/विविध (मुख्यालय)(के0प्र0)–22/2025................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/विविध (मुख्यालय)(के0प्र0)–22/2025...................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री धीरेन्द्र मोहन, तत्कालीन सहायक निदेशक (असैनिक), गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्यालय, पटना, मुख्यालय निदेशक अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/विविध (मुख्यालय)(के0प्र0)–22/2025 7771 (7)/ पटना, दिनांक– 18/8/25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/8/2025

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।